फर्द अहकाम

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा**

रामकरण बनाम राज0 सरकार

किस्म मुकदमा– प्रा0पत्र वाजदायरी मु0नं0– 91/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.03.2024	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित हुए। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि न्यायालय में विचाराधीन पत्रावली रामकरण बनाम राज0 सरकार अ0धा0 128 एल0 आर0 एक्ट विचाराधीन थी जिसे दिनांक 23.02.2022 को अदम हाजिरी अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया। यह है कि दिनांक 11.02.2022 को प्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री मलखान सिंह गुर्जर के पुत्र का असामयिक निधन हो जाने के कारण वे न्यायालय में हाजिर नहीं आ रहे थे। यह है कि मूल प्रकरण पत्थरगढी से संबंधित है जिसमें प्रार्थीगण का हित निहित है इसलिए आदेश दिनांक 23.02.2022 को निरस्त कर मूल प्रकरण को पुनः नम्बर पर लिया जावे। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस का मनन किया गया। पत्रावली एवं मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र वाजदायरी स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र वाजदायरी स्वीकार कर मूल प्रकरण रामकरण बनाम राज0 सरकार अ0धा0 128 एल0 आर0 एक्ट को पुनः नम्बर पर लिए जाने के आदेश प्रदान किए जाते है। मूल प्रकरण को पुनः नम्बर पर लिया जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	